रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 14, 1972/चैत्र 25, 1894
No. 77] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 14, 1972/CHAITRA, 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th April 1972

SUBJECT.—*Grant of licences for import of raw materials and components to actual users in the small scale sector during April 1972—March 1973—items licensable on restricted basis.*

No. 54-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 47 of Section I of the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for the period April 1972—March 1973 wherein it has been laid down that the import of items shown as licensable to actual users on restricted basis will be allowed subject to the limits to be notified separately. It has been decided that, in respect of such items, import may be allowed subject to value limits or face value restrictions as indicated in the Appendix to this Public Notice.

2. Where a restricted item appears in the licences, issued to an actual user for different modes of financing against the same application and the licensee intend to import that item against one of these licences only, the request for suitable amendments will be considered on merits. In such a case, the licensing authority may endorse one of the licences making it valid for the import of that item for the aggregate value for which it was permitted against all the licences, and simultaneously delete the said item from the remaining licence(s).

APPENDIX

Face value restrictions/value limits in respect of items licensable on restricted basis

Sl. No. and Part of the ITC Schedule	Description of items	Percentage of face value restriction to the total value of the licence.
1	2	3
PART I		
16-A(ii)	Iron and steel and alloy steel rounds, rods, squares, Hexagons and sections in bright drawn, turned, ground and/or polished conditions.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 which ever is less.
17(i)	(i) Cast iron foot valves above 300 mm dia.	2½ % of the face value of the licence or Rs. 500 whichever is less.
	(ii) Other types of valves and cocks	Do.
17(ii)(a)	Boiler tubes and ERW (electric resistance welded) tubes.	10% of the face value of the licence or Rs. 5000 whichever is less.
17(ii)(c)	Line pipes and tubes of API specifications	Do.
17(ii)(d)	Seamless (alloy and carbon steel) pipes and tubes	Do.
17(e)	Welded steel pipes of the following sizes : *Category* — *Outside diameter* — *Thickness* E.R.W. tubes — 8 mm to 80 mm — 0.7 mm to 4 mm	5% of the face value of the licence or Rs. 250 whichever is less.
17(ii)(g)	Stainless steel pipes and tubes for manufacture of :— (i) Machinery required for pharmaceutical/chemical/dairy products. (ii) Textile processing machinery (iii) Electro-medical, surgical and medical instruments; and (iv) Electrical circuits breakers and switch gear; and (v) Air-conditioning and refrigeration equipment.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
17(iv)(a) 17(v)(b)	Wrought Iron Steel pipe fittings, n.o.s. (Permissible items) Other steel pipe fittings n.o.s. (permissible items)	2½ % of the face value of licence or Rs. 500 whichever is less.
17(v)(a)	Cast iron and alloy iron pipes below 75 mm O.D.	2½% of the face value of licence or Rs. 500 whichever is less.
29	Wire ropes for mines only	5 % of the face value of the licence.

1	2	3
36(c)	Boot & Show grindery, the following : (a) Auto soler wire (b) Iron or steel stapling wires galvanised or black (excluding machine staples) (c) Mild tacking wire. (d) Riand wire. (e) tacking wire. (f) Screwing wire. (g) Slugging wire. (h) Wire required for lasting of boots and shows. (i) Machine tacks.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
38(b)	Alloy iron castings for machine tools manufacturers for piece weight above 5 tonnes.	5% of the face value of the licence.
38-A(c)	Ship chains and Hoisting chains, *viz.*, wrought iron and steel stud link chains for anchoring, hoisting etc., including welded link chains and all other types of link chains and parts thereof.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
39-A	Steel casting (unmachined) above 10 M.T. piece weight (in consultation with D.G.T.D.)	10% of the face value of the licence.
39-B	Alloy steel casting (unmachined) above 3 M.T. piece weight.	Do.
40	Unmachined steel forgings	5% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
41(ii)	(1) Copper pipes and tubes of following sizes : (a) Upto 100 mm O.D. having wall thickness thinner than 22 SWG. (b) Above 100 mm O.D. having wall thickness of 22 SWG and thicker.	10% of the face value fo the licence or Rs. 10,000 whichever is less.
	(2) High tensile and other special copper alloy pipes and tubes/sections (other than brass).	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 whichever is less.
41(iii)	Items other than those covered by remarks (1) to 6 against this S No. in Section II of the Red Book (Vol. I) for 1972-73.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
42	Copper scrap whether ingotted or otherwise.	10% of the face value of the licence.
44(c)	Zinc granulations and dust	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
46(b)	Brass pipes and tubes of the following sizes :— (a) Upto 100 mm O.D having wall thickness thinner than 22 SWG. (b) Above 100 mm O.D. hving wall thickness of 22 SWG and thicker.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 whichever is less.
48(b)	Nickel and nickel base alloy rods/wires/electrodes	(i) 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less (for import of electrodes) (ii) 20% of the face value of the licence (for import of other items).
50	Monel Metal Unwrought and semi-manufacturers thereof like sheets/strips, rods, wires.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.

1	2	3
53(a)	Calcium Manganese silicon . . .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
57(c)	Coils springs of iron and steel for railways and tramways.	Import will be allowed in consultation with DGTD.
57(e)	Industrial metallic coil springs, flat and other formed springs including precision springs but excluding hair springs for watches/clocks, etc.	5% of the face value of licence or Rs. 5,000 whichever is less.
PART II		
7-A(b)	Asbestos based wire woven jointings, beater addition jointings, jointings required to withstand the action of strong acid/alkalies and jointings required to withstand refrigeration temporature.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less
7-A(c)	Asbestos based products for electrical insulation and products not otherwise specified (Permissible types).	Do.
7-B	Non-asbestos packing and boilers all sorts not otherwise specified.	Do.
7-C	Steam, pneumatic and hydraulic non-asbestos packing for all machinery.	Do.
8	Ready made boiler Non-asbestos packing .	Do.
9(a)	Machined Steel balls above 14.2875 (9/16") dia.	5% of the face value of the licence.
9(b)	Precision steel balls conforming to I.S. Grades 2, 1, 0 corresponding to AFBMA grades 5, 10, 15, and 25.	Do.
9(c)(i)	Grinding media steel balls of special types like hollow cast steel balls.	Do.
9(c)(ii)	Forged steel balls for manufacture of ball bearings.	10% of the face value of the licence.
9(d)(i)	Special purpose electrodes	2½% of the face value of the licence.
9(g)	Roller/needle rollers other than banned types .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
9(l)	Iron powder for manufacture of welding electrodes.	5% of the face value of the licence.
11	(i) German Silver/Nickel Silver scrap . .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(ii) German Silver/Nickel silver strips . .	20% of the face value of the licence.
12	34 gauge and thinner gauge aluminium strips in coils required for making antibiotic vial caps (for drugs and pharmaceutical industry).	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 whichever is less.
13	E.C. Grade aluminium	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.

1	2	3
16(c)	Sintered parts/components of iron and bronze other than self-lubricating oilite bushes.	2 % of the face value of the licence or Rs. 1250 whichever is less.
17(a)(i) (a)	Zirconium Silicate and Zirconium opacifiers including zircon flour for Ceramic industry.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(b) Rutile for Ceramic and electric welding industry.	Do.
	(c) Cadmium	(i) 75% of the face value of the licence (for preparation of Cadmium salts).
		(ii) 10% of the face value of the licence (for other end-uses).
	(d) Cobalt	(i) 50% of the face value of the licence (for manufacture of Cobalt salts).
		(ii) 10% of the face value of the licence (for manufacture of other end-uses).
	(e) Bismuth	10% of the face value of the licence.
17(a)(ii)	Non-ferrous alloy electrodes and wires including stellite and other similar cobalt base hard facing alloys.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
17(a)(iii)	Non-ferrous electroplating anodes other than those of Cadmium for essential electroplating, to units possessing adequate electroplating equipment and engaged in actual manufacture of finished plated products.	Do.
17(b)	(i) Alloy pen-points	10% of the face value of the licence.
	(ii) Other special alloys including aluminium resistance alloys.	2 % of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
	(iii) Bi-metal strips of all varieties including ferrous and non-ferrous combinations for electrical and automobile industries.	10% of the face value of the licence.
	(iv) Clad-materials for special electrical and aeronautical purposes.	25% of the face value of the licence.
17(c)	Aluminium alloy tube/strip/wire/flats for manufacture of Zip/Snap fasteners, rivets, screws and pen caps only.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000 whichever is less.
20(1)(a) (b) & (c)	(1) Slitting Saws and slotting cutter of thickness below 1·6 mm	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
	(2) Diamond wire drawing dies . . .	Do.
	(3) Taps and dies below 3 mm . . .	Do.

1	2	3
	(4) Broaches	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
	(5) Gear hobs and special types of gear cutters	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
	(6) Stellite tips/tipped tools . . .	Do.
20(2)(a)	(1) Circular saws inclusive of inserted blades types.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
21(1)	(1) Outside Micrometers of sizes over 150 mm and spares thereof.	Do.
	(2) Thread plug gauges and Ring gauges . .	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
	(3) Gauge Blocks (Slip gauges other than carbide tip slip gauges.)	Do.
24(b)	Grinding wheels and segments . . .	Do.
24(c)	Nib slitting wheels for manufacture of fountain pens.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
25(d)	(1) Carborundum and synthetic aluminium oxide (other than brown variety) abrasive grains of 300 mesh and finer size.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
	(2) Brown synthetic aluminium oxide abrasive grains.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
28(4)	V. Belts other than those mentioned in Appendix 23.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
28(8)(b)	Steel conveyer belts for manufacture of safety razor blades.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
32(b)	Vertical spindle hollow shaft motors of ratings not produced in the country (for pumps manufacturers only)	5% of the face value of the licence
32(d)	Variable speed motors and other non-flame proof motors which are required in the specialised types of textile machines (for textile mills/textile machinery manufacturing industry only).	Do.
32(h)	(a) Commutators for D.C.Motors upto 1-H.P.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/ whichever is less.
	(b) Special types of carbon brushes of odd sizes required as spares.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
34(a)(i)	Special pumps for fused caustic soda or acid.	10% of the face value of the licence.

1	2	3
39(c)	Flame-proof and explosion proof fittings as per BSS-889-1965 or U.D.E.C. 166/11·58 (for fertilizer and chemical complexes).	10% of the face value of the licence.
41-A	(i) Graphite anodes machined or unmachined required for electrolytic processes.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000/ whichever is less.
	(ii) Graphite electrodes for electric furnaces.	Do.
	(iii) Carbon past for electric furnaces.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
42(b)	(iii) Protective Relays	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/ whichever is less.
42(h) (iii)	Electric control gears and electric transmission gears—others.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
43(e)	(i) Disc Insulators of above 25,000 Lbs. EMS.	Do.
	(ii) Transformers bushihings and apparatus insulators (of special types or design) of below 66.K.V.	Do.
	ii) Metallised porcelain condensor bushing for H.T. and L.T. application.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
45(c)	(i) Enamelled copper wire 44 gauges and finer gauges.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
45(c)	(ii) Enamelled copper strips	Do.
45(d)	Resistance Wire	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500 whichever is less.
46(b)	(i) Metal graphite grades of carbon blocks including carbon blocks equivalent to Morgan's C.M.2 grade and metal impregnated graphite grade of carbon blocks.	10% of the face value of the licence.
	(ii) Grahphitte stopper head and colloidal graphite.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
46(d)	Flame proof mining bells and flame proof mining telephones.	Do.
48-A	Electric exploders and parts thereof	Do.
PART III		
1(d)(i)	Wetting out, penetrating, dispersing, securing and emulsifying Agents (Import of only special products, required for manufacture of drugs, pharmaceuticals, insecticides and pesticides, rayon synthetic fibres, synthetic rubber and polymers is allowed).	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.

1	2	3
1(d)	(iv) Synthetic bleaching agents (other than bleaching powder or hypoclorites hydrogen peroxide etc.).	10% of the face value of the licence or Rs. 5000 whichever is less
1(d)	(vi) Sodium aliginate—	
	(i) for Latex industry . .	10% of the face value of the licence.
	(ii) for manufacture of welding electrodes.	Do.
5-A	Silk blting cloth (for roller flour mills, starch units, refined guar gum units and emery grain/ powder manufacturers).	Import will be allowed on the recommendation of DC(SSI) in the case ofunits and on the recommendation of DGTD in the case of/ other units.
PART IV.		
37	Cocoa beans	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
41.	Hops	Do.
49(a)	(ii) Dammer gum for manufacture of liquid gold.	10% of the face value of the licence.
78-79	(vii) Pharmaceutical grade gelatine powder .	20% of the face value of the licence.
97.	China clay of special grades required for end uses other than art and chrome paper.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
103	Pumice stone and rubber stone for manufacture of all metal reeds and steel reeds (on the recommendation of the Textile Commissioner, Bombay).	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/-. whichever is less.
127—129	(i) Citronella oil for manufacture of Aromatic chemicals namely Geraniol, Citronellol and Hydroxy Citronellol.	20 % of the face value of the licence.
	(ii) Orange oil for manufacture of flavouring essences and perfumery compounds.	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(iii) Natural essential oils for manufacture of scented and chewing tobacco.	Do.
130	Essential oils, synthetic	Do.
138	Glue not otherwise specified excluding belt dressing.	Do.
159(b) (Appendix 16)	Filter paper for the uses other than :—	
	(1) Gravimetric and chromotographic analysis in research laboratories.	Do.
	(2) Filters for automobiles and other internal combustion engines.	Do.

1	2	3
160 Appendix 16)	Glassine paper (for certain specified end-products).	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
177	Nylon yarn and thread (except industrial nylon yarn) and polyester filament yarn (except polyester filament yarn having a diameter range of 40 microns to 210 microns for manufacture of surgical sutures).	To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
240	High density aluminium grinding media .	20 % of the face value of the licence.
244	Sheet glass above 6·5 mm and below 0·8 mm thickness for end uses other than cover slips.	20% of the face value of the licence.
248(c)	(1) Soft capillary tubing for manufacture of industrial, medical and general purpose thermometres.	10 % of the face value of the licence.
	(2) Quartz glass	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(3) Hard glass . .	Do.
	(4) Ceramic transfer scales for manufacture of clinical thermometers.	2½ % of the face value of the licence.
	(5) Milk glass sheets for manufacture of clinical thermometers.	Do.
286(b)	Letter types for typewriters. . .	20 % of the face value of the licence.
305	Photographic instruments, apparatus and appliances, other than cinema, all sorts, n.o.s. and parts thereof.	Import of photographic instruments, apparatus and appliances will be permitted in consultation with DGTD.
337	Empty hard gelatine capusles of sizes other than 3, 4 and 5.	20 % of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
PART V		
9	Cod oil for manufacture of industrial leather	10 % of the face value of the licence.
13	Essences containing spirit used for the manufacture of beverages.	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
17(c)	Liquid paraffin (including medical liquid paraffin)	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
34-37(h)	Blanc Fixe (for manufacture of acid resisting cement).	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
41(ii)	Giant motor/motor cycle tyres, tubes and flaps, bicycle tyres and tubes, and industrial tyres, tubes and flaps including solid tyres but excluding tractor and off-the-road tyres and tubes. (Permissible types)	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
41(iii)	Tractor and off-the-road tyres, tubes and flaps excluding other types of tyres and tubes and flaps specified elsewhere. specified elsewhere. (Permissible types).	Do.
41(iv)	Rubber Battery containers (for battery manufacturers).	5% of the face value of the licence.
41(v)	Rubber thread upto 60 gauge of heat resisting qauality.	20 % of the face value of the licence.
41(vi)	Full circle collapsible curing bags.	10 % of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
42(a) (i)	*Types of woods* (i) Beach wood, Douglas fir (in consultation with Jute Commissioner, Calcutta). *End-use* Jute Mill wooden accessories other than jute mill picking sticks, bobbins, box backs, lay races, loom lay blocks, and shuttles.	Do.
	(ii) Birch, Beach, Maple and Douglas fir (in consultation with Textile Commissioner, Bombay) Bobbins for textile industry.	Do.
	(iii) Ash. Mulbery and beach wood. Sports goods.	Do.
47	Raw Wool and wool tops.	To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
65(6) (a) (iii)	Spare parts required for maintenance of imported office machines and replacement of parts of indigenous machines having imported components.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-whichever is less.
68(b)	Rubber hoses required for the Oil Companies (in consultation with DGTD)	Applications will be considered in consultation with DGTD.
75(c)	Needless for all industrial sewing machines except those which are banned.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-whichever is less.
78(ix)	(1) PH meters electrodes (2) PH metres	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-whichever is less.
	(3) Ultrasonic devices including ultrasonic flaw detectors.	Applications will be considered in consultation with DGTD.

1	2	3
79]	(i) Diagnostic equipment over and above 500 MA capacity ; and (ii) X-Ray, therapy, gamma ray therapy equipment	Applications will be considered in consultation with DGTD (Instrument Dte.).
93-94(a) (iv)	Rough Blanks other than bifocal blanks. (Release orders will be issued subject to production of non-availability certificate from M/s. Opthalmic Glass Project, Durgapur.)	75% of the face value of the licence.
101	(1) Cellulose acetate flakes.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(2) *Cellulose acetate sheets/films.*	
	(i) For manufacture of spectacle frames.	50% of the face value of the licence.
	(ii) For manufacture of show laces.	10% of the face value of the licence.
	(iii) For manufacture of other end uses.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-whichever is less.
111	Phenol formaldehyde moulding powder.	5% of the face value of the licence
113	Pearlascent varity of acrylic plastic sheets. (for button manufacturers)	10% of the face value of the licence.
113-F	Plyvinylidene chloride	10% of the value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
113-G	Polyvinyl formal and polyvinl acetol.	Do.
113-H	Polyvinyl chloride resin powders.	Do.
113-J	Polythylene moulding powder (low density).	25% of the face value of the licence.
113-K	(i) PTFE tube	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-which ever is less.
	(ii) Special Industrial components.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less .
116(ii)	Synthetic Iron Exchange Resins.	10% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
116(v)]	Epoxy Resins	20% of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less.
122(i)	(1) Polyester laminated films.	15% of the face value of the licence.
	(2) Polyester metallised films.	15% of the face value of the licence.
	(3) Other items falling under this sub-S.No. 122 (i)/V other than those covered by remarks (1), (4) and (5) against this S.No. in Section II of the Red Book (Vol. I)	10% of the face value of the licence.

1	2	3
122(ii)	*Flourspar*	
	(i) Acid Grade Flourspar for manufacture of Vitreous Enamel frit (in consultation with D.G.T.D.)	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-whichever is less.
	(ii) Acid Grade Flourspar for steel casting a foundries (in consultation with D.G.T.D.)	Do.
	(iii) Acid grade flourspar (for aluminium smelters) in consultation with Deptt. of Mines and Metals.	Applications will be considered in consultation with the Deptt. of Metals.
122(iii)	Activated bleaching earth for bleaching dark coloured oils such as cotton-seed oil, rice bran oil, Sun flower oil, linseed oil, Caster oil.	5% of the face value of the licence.
122(ix)	Cryolite	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
122(xi)]	Flint Stone (for lighter industry and for manufactures of machinical toys).	Do.
122(xv)	(1) Synthetic non-cellulose fibres including polyester fibre. (2) Polynosic fibre (cellulose striple fibre).	To be released on the recommendation of the sponsoring authority.
122(xxv)	(1) Polypropylene for manufacture of combs.	20% of the face value of the licence.
	(2) Thermoplastic rubber	To be announced later.
	(3) Other items falling under this S.No. (except those covered by remarks (i) and (ii) against this S.No.)	50% of the face value of the licence.
122(xxix)	Filter aids for end-products other than Lead storage batteries.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
122(xxxii)	Glass mineral, slag wool, fibre glass and products thereof.	Do.
122(xli)	Alabaster	20% of the face value of [the licence.
122(xlix)	Polyster films for conversion into stamping foils.	10% of the face value of the licence.
122(1)	Yeast food and yeast culture.	Do.

1	2	3
122(li)	(1) Emulsifiable polyethylene wax.	75% of the face value of the licence.
	(2) Other items falling under this sub-Sl. No. except those mentioned against remarks (1) and (4) against this S. No.	10% of the face value of the licence.
87-109/IV. (Appendix 19)	(1) Sulphadimidine (Sulphamethazine) (2) Amidopyrine. (3) Analgin. (4) Phenobarbitone. (5) Piperazine and its salts. (6) Streptomycine sulphate. (7) Teracycline base and tetracycline hydrochloride. (8) Sulphaguanidine.	Release orders will be issued by the State Drugs Control authorities on the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.
	(9) Chloraphenicol powder. (10) Chloramphenicol palmitate. (11) Chloramphenicol succinate.	Release orders will be issued by the State Drugs Control authorities on the S.T.C.
	(12) Citric acid of pharma-copoeial grade.	20% of the face value of the licence.
	(13) Absorbable gelatine sponge.	2½% of the face value of the licence.
	(14) Acetarsol.	2½% of the face value of the licence.
	(15) Aluminimum glycinate.	2½% of the face value of the licence.
	(16) Calcium D-Saccharate.	2½% of the face value of the licence.
	(17) Calcium Gluconate, injctable grade only.	2½% of the face value of the licence.
	(18) Calamine	10% of the face value of the licence.
	(19) Glycerophosphoric acid and its salts.	2½% of the value of the licence.
	(20) Heparine	2½% of the face value of the licence.
	(21) Liquid Parafin of Pharmecopoeial grade.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
	(22) Lanolin (Adeps Lanae).	10 % of the face value of the licence of Rs.[5,000/- which ever is less.
	(23) Meprobamate.	2½% of the face value of the licence of Rs. 1250/- which ever is less.
	(24) Nikethamide.	10% of the face value of the licence.

1	2	3
	(25) Phyenyl Butazone and its salts. . .	2½% of the face value of the licence of Rs. 1250/- whichever is less.
	(26) Potassium Hydrogen Tartrate (Cream of tarter).	2½% of the face value of the licence.
	(27) Potassium Sodium Tartrate (Rochelle salt)	2½% of the face value of the licence.
	(28) Potassium Iodide.	2½ % of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
	(29) Prednisone.	5% of the face value of the licence of Rs. 2,500/- whichever is less.
	(30) Predisolone	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/ whichever is less.
	(31) Procaine Hydrochloride.	2½% of the face value of the licence.
	(32) Silver protein mild and strong.	2½% of the face value of the licence or Rs.1,250/- whichever is less.
	(33) Sodium Iodide	2½% of the face value of the licence or Rs. 1250/- whichever is less.
	(34) Sodium bicarbonate of I.P. Grade.	5% of the face value of the licence or Rs. 2500/- whichever is less.
	(35) Sorbitol.	10% of the face value of the licence.
	(36) Succinyl Choline Chloride.	2½% of the face value of the licence.
	(37) Thymol.	10% of the face value of the licence or Rs. 500/- whichever is less.
	(38) Vitamins D2 P D3.	2½% of the face value of the licence.
	(39) Vitamin K (Menadione, Menadione Sodium Bisulphite and Acetomeaphthone).	2½% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
1-B/III (Appendix 24)	Dyes used as a dye intermediate, the following :—	
	Name of Dye-stuff.	*C.I.No.*
	1. Blue B Base Dianiside.	37235 10% of the face value of the licnce.
	2. Indigo Pure	73000 -do-
	3. Nepthol AS.IRG.	37513 -do-
	4. Napthol AS.LC.	37555 -do-
	5. Rodamine 6 GDN.	45160 -do-
	6. Thioflavine.	49005 -do-
	7. Victoria Blue BO.	42595 -do-
	8. Vat Yellow BY	60530 -do-
	9. Vat Orange RF.	73335 -do-
	10. Vat Pink R.	73360 -do-
	11. Vat violet RR.	73600 -do-
	12. Vat Blue 4 G.	73045 -do-
	13. Vat Grey BL (Vat Black I)	73670 -do-
	14. Vat Golden yellow RE.	59105 -do-
	Dyes-intermediates, the following :	
	1. Beta Naphthol.	15% of the face value of the licence.
	2. Naphthionic Acid/Sodium Naphthionate.	10% of the face value of the licence.
	3. Acetroacet-o-anisidide	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
	4. Acetoacet-M-Xylidide	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
	5. Acid Anthranilic.	5% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is loss.
	6. 1-Aminoanthraguinone.	5% of the face value of the licence.
	7. Amino Iso Gamma Acd/Salt.	5% of the face value of the licence.
	8. 1 Amino 2 Naphtho 4 Sulphonic Acid/Salt.	5% of the face value of the licence.
	9. 1-Amino 6-Nitro 2-Nphthol 4-Sulphonic Acid/Salt.	5% of the face value of the licence.
	10. 2-Anthraquinone Sulponic Acid-Sodium Salt.	5% of the face value of the licence.
	11. Anthraquinone.	5% of the face value of the licence.

1	2	3
	12. o-Anisidine	10% of the face value of the licence.
	13. p-Anisidine	-do
	14. Benzoyl J Acid/Salt.	5% of the face value of the licen
	15. Beta-oxgnaphthoic Acid (B.O.N. Acid).	10% of the face value of the licence.
	16. Bromamine Acid.	5% of the face value of the licence.
	17. Chicago Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.
	18. 1-Chloroanthraquinone.	5% of the face value of the licence.
	19. 4-Chloro-2-Nitroaniline.	-do-
	20. 5-Chloro-o-toluidine	-do-
	21. 1-4 Diamino-anthraquinone.	-do-
	22. 1-5 Diaminoanthraquinone	-do-
	23. 2-6 Diaminoanthraquinone	-do-
	24. 1 : 5 Dibenzoyl Naphthalene	-do-
	25. Diethyl Meta Aminophenol.	10% of the face value of the licence.
	26. DI-J-Acid/Salt (Rhoduline Acid/Salt)	5% of the face value of the licence.
	27 2 : 5 Dimethyl-4-Chlorophenyl Thioglycolic.	-do-
	28. Diphenylamine	20% of the face value of the licence.
	29. 2 : 5 Diohlore nitro benzene.	5% of the face value of the licence.
	30. 1 : 5 Dihydroxy Anthraquinone.	-do-
	31. Dimethylaniline.	20% of the face value of the licence.
	32. 1 : 8 Dihydroxy Anthraquinone.	5% of the face value of the licence.
	33. G-Salt	10% of the face value of the licence.
	34. Gamma Acid/Salt.	-do-
	35. H-Acid/Salt	-do-
	36. J-Acid/Salt	15% of the face value of the licence.
	37. J-Acid Urea/salt.	10% of the face value of the licence.
	38. Laurent's Acid/Salt.	5% of the face value of the licence.
	39. N.W. Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.

1	2	3
	40. 2-Naphthyl Thioglycolic Acid.	5% of the face value of the
	41. o-Nitroanisol.	-do-
	42. p-Nitroanisol.	-do-
	43. p-Chloroaniline	-do-
	44. O-chloro-1(4-Sulphophenyl)-3-Methyl-5-Pyrazolone.	-do-
	45. Peri Acid/Salt	-do-
	46. Phenyl J. Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.
	47. Phenyl Hydrazine	5% of the face value of the liceene.
	48. Phenyl Peri Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.
	49. Quinizarine (1,4-dihydro-xyan-thra-quinone)	5% of the face value of the licence.
	60 Resorcinol	5% of the face value of the licence. or Rs. 2,500/- whichever is less.
	51. R. Salt.	5% of the face value of the licence.
	52. Scaeffer's Acid Salt.	10% of the face value of the licence.
	53. Sodium-Salt-oxal Acetic Ester/Oxal Acetic Ester/Oxal Acetic Ester-Sodium Salt.	5% of the face value of the licence.
	54. Tobias Acid/Salt.	10% of the face value of the licence.
22-31/V (Appendix 28)	(1) Cyno Pyridine.	Release orders will be issued the Stae Drugs Contro authorities on the S.T.C.
	(2) Formic Acid.	5% of the face value of the licence.
	(3) Meta aminophenol.	Release orders will be issued b the State Drugs Control auy thorities on the S.T.C.
	(4) Pentraery-thritol.	10% of the face value of the licence.
	(5) Calcium Carbide.	To be released by the STC on the recommendation of the Sponsoring Authority.
	(6) Methyl Ethyl Ketoneperoxide.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- which ever is less.
	(7) Aluminium flouride.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which ever is less.

1	2	3
	(8) (i) Amyl alcohol.	5% of the face value of the licence.
	(ii) Iso-amyl alcohol (other than of milk testing quality).	10% of the face value of the licence.
	(9) Methanol technical.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1, 250/- which ever is less.
	(10) C6-C12 alcohols for plasticisers, such as Octanol ISO-Octanol, Alfol, Alfonol.	2½% of the face value of the licence.
	(11) Vinyl chloride.	-do-
	(12) Potassium chloride (industrial grade)	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.
	(13) Citric acid (technical grade)	20% of the face value of the licence.
	(14) Pyridine base and preidine technical.	5% of the face value of the licence.
	(15) Acetic Anhydride.	-do-
	(16) Acetyl Acetone.	10% of the face value of the licence.
	(17) Acid Anthranilic.	5% of the face value of the licence or Rs. 1250/- whichever is less
	(18) Activated Carbon.	5% of tye face value of the licence.
	(19) Alpha Pinene.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- which ever is less.
	(20) Ammonium Carbonate.	5% of the face value of the licence.
	(21) Ammonium Nitrate of explosive grade.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-. whichever is less.
	(22) Ammonium persulphate and potassium persulphate.	2½% of the face value of the licence.
	(23) Ammonium Thiocyanate (also known as Ammonim sulphocyanide, Thiocyanate of Rhodanide and Rhodanatum).	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
	(24) Antimony Oxide	10% of the face value of the licence.
	(25) Argon gas spectroscopically pure 99-99%	10% of the face value of the licence or Rs 5,000/-. whichever is less.
	(26) Arsenic Trioxide and Arsenic Pentoxide.	5% of the face value licence or Rs. 2,500/-. of the which-ever is less.

1	2	3
	(27) Ben-ophenone.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
	(28) Benzotrichloride.	5% of the face value of the licence.
	(29) Benzyl Butyl Phthalate.	10% of the face value of the licence.
	(30) Benzyl Cyanide	-do-
	(31) Benzoyl peroxide.	2½% of the face value of the licence.
	(32) Bromine.	20% of the face value of the licence.
	(33) Butyl Alcohol (3 utanol) excluding normal Butyl alcohol.	2½% of the face value of the licence
	(34) Butyl Titanate.	-
	(35) Calcium Carbonate (precipitated and activated).	10% of the face value of the licence.
	(36) Case hardening compound.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less.
	(37) Chlorinated paraffins.	20% of the face value of the licence.
	(38) Dichloro Benzene.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/. whichever is less.
	(39) Diallyl Phathalate (DAP).	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
	(40) Didecyl Phthalate (DIDP).	-do-
	(41) Dinonyl Phthalate (DNP)	-do-
	(42) Chlorofluorochydrocarbon compounds used as refrigerant gases excluding Trichloromonofluoromethane (Fluorocarbon Refrigerant 11), Dichlorodifluoromethane (Fluorocarbon Refrigerant 12), Dichloromonofluoromethan (Fluorocarbon Refrigerant 21), Monochlorodiffuoromethane (Fluorocarbon Refrigerant 22) and mixtures thereof.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
	(43) Diphenyl Oxide/diphenyl ether.	10% of the face value of the licence.
	(44) E.D.T.A. and its sodium salts.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.

1	2	3
(45)	Esters of parahydroxy Benzoic Acid (Methyl Ethyl and Propyl.)	2½% of the face value of the licence.
(46)	Diethylene and Polyethylene glycol.	-do-
(47)	Ethylene dichloride.	10% of the face value of the licence.
(48)	Ethylene Urea.	2½% of the face value of the licence.
(49)	Fumaric acid	5% of the face value of the licence.
(50)	Furfural	10% of the face value of the licence.
(51)	Gold cyanide, potassium/sodium gold cyanide, copper cyanide, Zinc cyanide and silver cyanide.	10% of the face value of the licence or Rs 5,000/- whichever is less.
(52)	Glycerine	15% of the face value of the licence.
(53)	Hexachloroethane.	5% of the face value of the licence.
(54)	Hydrogen peroxide.	5% of the face value of the licence.
(55)	Isoprophyl acetate.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-. whichever is less.
(56)	Hydroxylamine hydrochloride (Hydroxyammonium chloride).	10% of the face value of the licence.
(57)	Hydroxylamine Sulphate (Hhdroxyammonium Sulphate).	-do-
(58)	Isopropyl Nitrate.	2½% of the face value of the licence.
(59)	Laboratory and reagent chemicals the following :— (i) Methyl Iodide pure quality. (ii) Potassium Amyl Xanthate. (iii) Potassium Ethyl Xanthate. (iv) Potassium metal isulphite analar quality. (v) Sodium Bisulphite, pure and analar quality (vi) Sodium Ethyl Xanthate. (vii) Sodium Iso Propyl Xanthate. (viii) Sodium metal isulphite, pure and analas quality.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/- whichever is less.

1	2	3
	(60) Magnesium carbonate light and magnesium insulating materials.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less. (Import of Magnesium oxide minimum 97% will, however, be allowed upto 10% of the face value of the licence.
	(61) Metallic Acetates (except Sodium and potasium acetates which are banned for import).	10% of the face value of the licence.
	(62) Metal substituted Alkyl phenol (cardanol).	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-. whichever is less.
	(63) Metol.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-. whichever is less.
	(64) Monochloro Acetic Acid and its sodium salts.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/- whichever is less.
	(65) Mono chloro Benzene.	-Do-
	(66) Musk Ketone.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
	(67) Naphthalene.	2½% of the face value of the licence.
	(68) Nickel formate.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
	(69) Nitrobenzene.	2½% of the face value of the licence.
	(70) Organic acetates, not elsewhere specified.	2½% of the face value of the licence.
	(71) Ortho Dichloro Benzene.	2½% of the face value of the licence oe Rs. 1,250/-. whichever is less.
	(72) Ortho oxydiphenyl and para oxydiphenyl.	10% of the face value of the licence.
	(73) Ortho Toluene Sulphonamide.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
	(74) Palladium Chloride.	-do-
	(75) Para aminophenol.	10% of the face value of the licence.
	(76) Para Hydroxy Benzoic Acid.	2½% of the face value of the licence.
	(77) Phenatidine and para Phenatidine.	5% of the face value of the licence.

1	2	3
	(78) Phenoxy Acetic Acid and its salts.	10% of the face value of the licence.
	(79) Phenyl acetic acid.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
	(80) Phenyl acetamide.	2½% of the face valu of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
	(81) Phosphoric Acid.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
	(82) Phosphorous pentoxide.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
	(83) Phthalate Plasticizers other than those covered by list II of Appendix 28 but excluding those the import of which is banned.	2½% of the face value of the licence.
	(84) Picolines, Beta and Gamma.	10% of the face value of the licence.
	(85) Potassium bicarbonate.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
	(86) Potassium carbonate.	2½% of the face value of the licence or Rs. 1,250/-, whichever is less.
	(87) Potassium Silicate.	10% of the face valueof the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
	(88) Resorcinol.	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
	(89) Rubber Chemicals e.g. accelerators, antioxidants, retarders, peptisers and reclaiming agents.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
90	Sodium Azide	10% of the face value of the licenceor Rs. 5,000/-, whichever is less.
91	Sodium bicarbona: of I.P. Grade	5% of the face value of the licence or Rs. 2,000/-, whichever is less.
92	Sodium Chlorate	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
93	Sodium Monochloro acetate	21/2% of the face value of the licenc or Rs. 1250/-, whichever is less.
94	Sorbitol	10% of the face value of the licence.
95	Strontium Carbonate	5% of the face value of the licence.

1	2	3
	96 Styrene	2 1/2% of the face value of the licence.
	97 Succinic Acid	5% of the face value of the licence or Rs.2,500/-, whichever is less.
	98 Succinates	Do.
	99 Submerged arc welding fluxes . . .	5% of the face value of the licence.
	100 Terpeneol	10% of the face valueof the licence or Rs. 5,000/-,which ever is less.
	101 Tert Butyl Catechol	10% of the face value of the licence.
	102 Terrasodium pyrophosphate and other polyphosphates of sodiu.	10% of the face value of the licence or Rs 5,000/-, whichever is less.
	103 Thanite	5% of the face vaoue of the licence.
	104 Thionyl chloride	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
	105. Tricrosyl Phosphate . .	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
	106. Triethanelamine titanate and Isopropyl titanate.	10% of the face value of the licence.
	107. Trisodium phosphate	2 1/2% of the face value of the licence or Rs. 1,250 whichever is less.
	108. Xylenols.	10% of the face value of the licence.
34-37(*d*) Appendix 29)	Raw materials for paints :—	
	(*a*) Antimony oxide (Painters grade) . .	10% of the face value of the licence.
	(*b*) White spirits/Mineral turpentine . .	To be announced later.
	(*c*) Xylene (for and uses other than phthalic anhydride)	5% of the face value of the licence.
	(*d*) Synthetic yellow iron oxide (Pigment yellow 42)	10% of the face value of the licence.

1	2	3
Appendix 24 Appendix 29	Pigment dyestuffs and cosmetic colours, the following :— *Pigment Dyestuffs*: 1. S.F. Red P2R . . . 12310 2. Persian Orange . . . 15510 3. Lake Searlet . . . 16105 4. Peacock Blue . . . 42090 5. Yellow Green Toner . . 49010 6. Lake Magenta . . . No. CI No. 7. Crimson Toner . . . 12825 8. Permanent Orange 2R. . . 12075 9. S.F. Red F4 RH. . . . 12420 10. Rubber Blue GNS . . . No. CI No. *Cosmetic Colours* : 1. Deep Red . . . 12350 2. Cosmetic Green Oxide . . 77288	*Colour Index No.* Import of these items will be allowed for an aggregate value upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
Appendix 45 (Part-A)	Clock oil for manufacture of pendulum clocks .	5% of the face value of the licence or Rs. 2,500/-, whichever is less.
Appendix 46.	The following raw materials/components for manufacture of storage batteries :— 1. Pig Lead 2. Antimony. 3. Antimony ore. 4. Arsenical Antimonial lead alloy 5. Special grade PVC resin (for manufacture of PVC separator only). 6. Glass wool mats (for the manufacture of rubber separator only). 7. Battery separator. (other than PVC, Rubber and Wooden). 8. Micro Sulphur 9. Pure tin. 10. Copper ingot/copper bar 11. Red Lead (for manufacture of Aircraft batteries only).	Individual item will be allowed upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.
Appendix 47.	The following raw materials/components for manufacture of dry battery cells :— 1. Special PVC strips and sleeves. 2. Zinc in the form of ingot, Calots and sheets. 3. Mercry. 4. Cadmium Metal. 5. Battery contacts and terminal parts for special purpose. 6. Lead Ingot.	Individual item will be allowed upto 10% of the face value of the licence or Rs. 5,000/-, whichever is less.

1	2	3
Appendix 48.	(A) *For Manufacture of drinking water coolers:*	
	Tin.	5% of the face value of the licence
	(B) *For manufacture of Freezers below* OC.:	
	Above 1/3 HP to 3/4 HP compressor.	30% of the face value of the licence
	(C) *For manufacture of room air-conditioners* :	
	(1) Thermostats above 8 amps. (for manufacture of 1½ ton Air Conditioner).	2 ½% of the face value of the licence.
	(2) Piano switch	5% of the face value of the licence.
	(3) Electrolytic Start Capacitors	10% of the face value of the licence.
	(D) *For manufacture of sealed compressors* 1/8 *to* 7½ H.P.	
	(1) Copper wire 47GA for manufacture of relay.	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(2) Phosphor Bronze sheets/strips.	Do.
	(3) Beryllium copper sheet/strips	Do.
	(4) Bi-metal strips.	Do.
	(E) *For manufacture of open type compressors* ½ H.P. *and above.*	
	Special bearing metal for bearings . . .	5% of the face value of the licence.
Appendix 49.	For manufacture of house service meters.	
	Raw Materials :	
	(1) Zinc	10% of the face value of the licence or Rs. 5,000 whichever is less.
	(2) Tin	Do.
	(3) Lead	Do.
Appendix 51.		
	(1) Grinding wheels, honing stones/sticks, mechanite plates (Gap and Ring Plates)	For manufacture of ball and rooller bearings. 2 1/2% of the face value of licence or Rs.1250 whichever is less.
	(2) Components such as precision steel balls, finished rollers, retainers felt and rubber seals, forged and rolled rings.	10% of the face value of the licence.

1	2	3	
Appendix 57.	Rubber chemicals *e.g.* accelerators, antioxidants, tretarders, peptisers, and reclaming agents (other than Hexamine type).	For manufacture of rubber goods.	10% of the face value of the licence or Rs. 5000 whichever is less.
Appendix 61.	(1) Electrolytic copper. (2) Cold Rolled Dynamo grade Silicon Steel Sheets (CRNGO).	For manufacture of electric motors.	25% of the face value of the licence.
Appendix 62.	(1) Electrolytic grade Copper (2) C.R.G. electrical steel for units having captive capacity for stampings.	For manufacture of Transformers	4% of the face value of the licence.

NOTE.— In the case of units eligible to preferred sources of supply on the basis of their export performance, the maximum value limit of Rs. 5,000 or below as indicated against the individual items will be doubled.

In respect of items for which the maximum value limit is more than Rs. 5,000 but not more than Rs. 10,000 it will be raised to Rs. 10,000, for such exporting units.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1972

विषय : प्रतिवन्धिता के आधार पर लाइसेंस दिए जाने योग्य मदों के लिये अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 अवधि के दौरान लघु उद्योगों के वास्तविक उपयोक्ताओं को कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिये लाइसेंस प्रदान करना ।

संख्या 54 आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) के खंड 1 की कंडिका 47 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि उन मदों के आयात की स्वीकृति दी जाएगी जिनको वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए प्रतिवन्धिता के आधार पर लाइसेंस दिए जाने के लिये प्रदर्शित किया गया है, किन्तु ये सीमाओं के अधीन हैं जिसकी घोषणा अलग से की जाने वाली है । इन मदों के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया है कि इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में संकेत किये गये के अनुसार आयात की स्वीकृति मूल्य सीमाओं या अंकित मूल्य प्रतिबंधिता के आधार पर दी जा सकती है ।

2. जहां एक ही आवेदन-पत्र के लिए एक वास्तविक उपयोक्ता को अर्थयुक्त किए जाने की विभिन्न विधियों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, और उनमें प्रतिवन्धित मद शामिल हैं तथा लाइसेंसधारी इन लाइसेंसों में से किसी एक लाइसेंस के मद्दे उस मद का आयात करना चाहता है तो उसमें उपयुक्त संशोधन के लिए किए गए आवेदन पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । ऐसे मामलों में, लाइसस प्राधिकारी सभी लाइसेंसों के लिए स्वीकृत किए गए सम्पूर्ण मूल्य के लिये उस मद के आयात के लिये लाइसेंस को वैध करते हुए उनमें से एक लाइसेंस को पृष्ठांकित कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उपर्युक्त मद को शेष लाइसेंसों से निकाल सकते हैं ।

परिशिष्ट

प्रतिवन्धिता के आधार पर लाइसेंस दिए जाने योग्य मदों के सम्बन्ध में अंकित मूल्य प्रतिबन्धिता मूल्य सीमा ।

आई० टी० सी० अनुसूची की क्रम सं० और भाग	मद का विवरण	लाइसेंस के कुल मूल्य के लिये अंकित मूल्य प्रतिबन्धित का प्रतिशत
1	2	3
भाग–1		
16–ए(2)	लोहा और इस्पात तथा मिश्रित धातु इस्पात राउन्डस, राड,	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु०

1	2	3
	स्क्येअर्स, हेक्सागान्स और सैक्शन्स इन ब्राइट ड्रान, टर्नड ग्राउन्ड और/या चमकाई हुई दशा में ।	इनमें से जो भी कम हो ।
17–(1)	(1) 300 मि० मी० व्यास से ऊपर के कास्ट आयरन फूट वाल्वस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 500 रु० इनमें से जो भी कम हो ।
	(2) अन्य प्रकार के वाल्वस और कास्स ।	वही ।
17(2)(ए)	बयालर ट्यूबस और ई आर डब्ल्यू (इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड) ट्यूबस) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें से जो भी कम हो ।
17(2)(सी)	ए० पी० आई० विशिष्टिकरण के लाइन पाइप्स और ट्यूबस ।	वही ।
17(2)(डी)	सिमलेस (मिश्रितधातु तथा कार्बन इस्पात) पाइप्स और ट्यूबस ।	वही ।
17(ई)	निम्नलिखित आकार के वेल्ड किए हुए स्टील पाइप ।	
	श्रेणी बाह्य घेरा मोटाई ई. आर. डब्ल्यू 8 एम. 0.7 एम. ट्यूबें एम. से 80 एम. से एम. एम. 4 एम.एम.	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 25000 रु० इनमें से जो भी कम
17(2)(जी)	निम्नलिखित के निर्माण के लिए जंगावरोधी इस्पात पाइप्स तथा ट्यूबस ।	
	(1) औषधीय/रासायनिक/डेरी उत्पादों के लिये मांगी गई मशीनें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
	(2) वस्त्र संसाधन मशीन ।	
	(3) इलेक्ट्रो-मेडिकल, शल्य चिकित्सा और चिकित्सा उपकरण ;	

1	2	3
	(4) इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स तथा स्वीच गीयर ; और	
	(5) वातानुकूल तथा प्रशीतक उपकाण ।	
17(4)(ए)	गढ़ी हुई लोहा इस्पात पाइप फिटिंग्स अन्यत्र विशिष्टकृत नहीं (स्वीकार्य मदें) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 500 रु० इनमें से जो भी कम हो ।
17(4)(बी)	अन्य इस्पात पाइप फिटिंग्स अन्यत्र विशिष्टकृत नहीं (स्वीकार्य मदें)	
17(5)(ए)	75 मि० मी० ओ० डी० से कम सी० आई० और मिश्रित धातु लोह पाइप्स ।	वही ।
29.	कोल वाशरी के लिए गियर बोक्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत
36(सी)	निम्नलिखित बूट और जूता ग्रिडरी :-	
	(ए) आटो सोलर वायर ।	
	(बी) आयरन या स्टील स्टेपलिंग वायर जस्तेदार या ब्लैक (मशीन स्टेपल को छोड़ कर) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000] रु० इनमें से जो भी कम हो ।
	(सी) माइल्ड टैकिंग वायर ।	
	(डी) रियन्ड वायर ।	
	(ई) टैकिंग वायर ।]	
	(एफ) स्क्रूविंग वायर ।	
	(जी) लेसिंग वायर	
	(एच) बूट और जूतों की लास्टिंग के लिये अपेक्षित वायर ।	
	(आई) मशीन टैक्स ।	
38(बी)	5 टन से अधिक रीस वेट के लिये मशीन टूल्स के निर्माण के लिए एलाय आयरन कास्टिंग ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।

1	2	3
38-ए(सी)	वेल्डेड लिंक चेन और अन्य सभी प्रकार की लिंक चैन तथा उसके पुर्जे सहित एन्कोरिंग, हायस्टिंग आदि के लिये शिप-चेन और हायस्टिंग चेन अर्थात् राउंड आयरन और स्टील स्टड लिंक चेन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० या इनमें से जो भी कम हो ।
39-ए	10 मैट्रिक टन पीस वेट से ज्यादा स्टील कास्टिंग (बिना मशीनी कृत किया हुआ) (डी० जी० टी० डी० के परामर्श से) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
39-बी	3 मैट्रिक टन पीस वेट से ज्यादा एलाय स्टील कास्टिंग (बिना मशीनी कृत किया हुआ) ।	वही।
40.	बिना मशीनीकृत स्टील फोर्जिंग्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
41(2)	(1) निम्नलिखित साइजों के कापर पाइप और ट्यूबें :—	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
	(क) 22 एस डब्ल्यु जी से पतली वाल मोटाई वाले 1000 एम. एम. वाले ओ० डी०	
	(ख) 22 एस डब्ल्यू जी और मोटे के वाल मोटाई वाले 100 एम. एम. से अधिक ओ. डी.	
	(2) हाई टेंसिल तथा अन्य विशेष तांबा अलाय पाइपें और ट्यूबें/सेक्शन्स (पीतल के अतिरिक्त) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो कम हो ।

1	2	3
41(3)	1972–73 के लिए रैडबुक (वा० 1) के खंड 2 में प्रस्तुत क्रम सं० के सामने टिप्पणी (1) से (6) के अन्तर्गत आने वाली मदों के अतिरिक्त अन्य मदें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 1,250 रु० इनमें जो कम हो ।
42	कापर स्क्रैप चाहे वे इंगोटेड हों या अन्यथारूप से हों ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
44(सी)	जिंक ग्रेनुलेशन्स और डस्ट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
46(बी)	निम्नलिखित आकार की तांबे की पाइपें और ट्यूबें :— (क) 22 एस डब्ल्यू जी से पतली वाल मोटाई वाने 100 एम एम तक ओ. डी. । (ख) 22 एस डब्ल्यू जी और मोटे के वाल मोटाई वाले 100 एम एम से अधिक ओ. डी. ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो कम हो ।
48(बी)	निकल तथा निकल आधार वाली अलाय राडें/तारें/इलेक्ट्रोड्स ।	(1) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो (इलैक्ट्रोडस के आयात के लिए) । (2) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत (अन्य मदों के आयात के लिए) ।
50	अनराट मोनल मेटल और इसके सेमि-मैनुफैक्चर्स जैसे शीट्स/स्ट्रिप्स, राडें और तारें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।

1	2	3
53(ए)	केलसियम मैंगनीज सिलकान ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रू० इनमें जो कम हो ।
57(सी)	रेलवे और ट्राम्वेज के लिए लोहे तथा इस्पात के कायल स्प्रिंग्स ।	डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श करने पर आयात की स्वीकृति दी जाएगी ।
57(ई)	औद्योगिक धातविक कायल स्प्रिंग, फ्लैट और अन्य रूपों के स्प्रिंग्स जिसमें प्रीसीजन स्प्रिंग भी शामिल हैं किन्तु घड़ियों/दिवार घड़ियों आदि के लिये हेयर स्प्रिंग्स शामिल नहीं हैं :	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 5000 रु० जो भी कम हो ।
7-ए(बी)	स्ट्रांग एसिड अत्कलीज की प्रतिक्रिया के अवरोध के लिए आवश्यक ऐस्बेस्टास बेस्ड शायर ववन ज्योंटिंग्स, बीटर एडिशन ज्योंटिंग्स, ज्यानेटिंग्स और प्रणीतन ताप अवरोध के लिए आवश्यक ज्यानटिंग्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
7-ए(सी)	विद्युत पथक्करण के लिए एस्बेस्टास वेस्ट उत्पादे और वे उत्पादें जो अन्यथा रूप से विशिष्टिकृत नहीं हैं । (स्वीकृत किस्म के) ।	वही ।
7–बी	नान-एस्बेस्टास पेकिंग और सभी प्रकार के बोयलर्स जो अन्यथारूप से विशिष्टकृत नहीं है ।	वही ।
7–सी	सभी मशीनों के लिए स्टीम, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक नान ऐस्बेस्टास पेकिंग्स ।	वही ।
8	रेडी मेड बोयलर नान-एस्बेस्टास पेकिंग्स ।	वही ।

1	2	3
9(ए)	(9/16") 14.2875 व्यास से ऊपर मशीनीकृत स्टील बाल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
9(बी)	ग्रेड 5, 10, 15, और 25 ए एम बी एम ए के लिये आई एस. ग्रेड 2, 1, 0 संगत के लिये सानुरूप बनाने के लिये परिशुद्ध इस्पात बाल्स ।	वही ।
9(सी)(1)	विशेष किस्म के ग्रांइंडिंग मेडिया स्टील बाल्स जैसे ह्वालो कास्ट स्टील बाल्स ।	वही ।
9(सी)(2)	बाल बेयरिंग के निर्माण के लिए फोर्जेड स्टील बाल्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
9(डी)(1)	खास कामों के लिए इलैक्ट्रोडस	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।
9(जी)	रोलर/नीड़ल रोलर्स प्रतिबन्धित किस्म को छोड़कर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
9(आई)	वैल्डिंग इलैक्ट्रोड्स के निर्माण के लिये लौह चूर्ण	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
11	(1) जर्मन सिल्वर/निकल सिल्वर स्क्रैप ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
	(2) जर्मन सिल्वर/निकल सिल्वर स्ट्रिप्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
12	एन्टी बैक्टिक वाश्रल कैपस के निर्माण के लिए लच्छों में अपेक्षित 34 गाज और थीनर गाज एल्यूमीनियम स्ट्रिप्स (दवाइयों और औषधीय उद्योग के लिये) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3
13	ई० सी० ग्रेड एल्युमिनियम	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो।
16(सी)	ओलाइट बशेज को छोड़कर लोहे तथा कांसे के सिंटर्ड पुर्जे/संघटक।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1,250 रु० इनमें जो भी कम हो।
17(ए)(1)	(ए) सिरेमिक उद्योग के लिये जिरकान फ्लोर सहित जिरकोनियम आपेसिफायर्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो।
	(बी) ओलाइट और इलेक्ट्रिक बैल्डिंग उद्योग के लिये स्टाइल।	वही
	(सी) केड्मियम	(1) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत (केड्मियम साल्ट को तैयार करने के लिये)।
		(2) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत (अन्य अंतिम उपयोगों के लिये)।
	(डी) कोबाल्ट।	(1) लाइसेंस के अन्तिम मूल्य का 50 प्रतिशत (कोबाल्ट साल्ट के निर्माण के लिये)।
		(2) लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत (अन्य अन्तिम उपयोगों के निर्माण के लिये)।
	(ई) बिस्मथ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।

1	2	3
17(ए)(2)	अलौह मिश्रधातु इलेक्ट्रोडस तथा वायर जिनमें स्टेलाइट और अन्य समतुल्य कोबाल्ट बेस हार्ड फेसिंग अलाय शामिल हैं।	लाइसेंस के अंकित मल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो।
17(ए)(3)	वे एकक जिनके पास पर्याप्त इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपकरण हैं और जो तैयार प्लेटिड उत्पादों के वास्तविक निर्माण में लगे हुये हैं उनके लिये आवश्यक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिये केडमियम के अतिरिक्त अलौह इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोड्स।	वही।
17(बी)	(1) अलाय पेन पुआइंटस।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।
	(2) एल्युमिनियम अवरोधक अलाय सहित विशेष अलाय।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो।
	(3) इलेक्ट्रिकल्स तथा आटोमुबाइल्स उद्योगों के लिये लौह तथा अलौह कम्बीनेशन सहित सभी किस्म के बाईमेटल स्ट्रिप्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत।
	(4) विशेष इलेक्ट्रिकल तथा वैमानिक प्रयोजनों के लिए क्लेड माल।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत।
17(सी)	केवल जिप/स्नैप फास्टर्नस, बेटस, स्क्रूज तथा पेन की टोपियों के निर्माण के लिये एल्यूमिनियम अलाय ट्यूब/स्ट्रिप्स/वायर/प्लेटस।	रि-लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो।
20(1)(ए (बी) और (सी)	(1) 1.6 मी० मी० मोटाई के कम के स्लिटिंग सास और स्लोटिंग कटर्स।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो भी कम हो।
	(2) डायमन्ड वायर ड्राविंग डाइ	

1	2	3	4
	(3) 3 मी० मी० से कम के टप्स और डाइज ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 ० इनमें जो कम हो ।	
	(4) ब्रोचेज	वही ।	
	(5) गियर हाब्स तथा विशेष किस्म के गियर कटर्स ।	वही ।	
	(6) स्टेल्लाइट टिप्स।टिप्पड ब्रोजार	वही	
20(2)(ए)(1)	इन्सेर्ट डब्सूडस टाइपों के साथ सरकुलर सास	वही	
21(1)	(1) 150 मि० मी० से ऊपर साइज के आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा उन के फालतू पुर्जे ।	वही	
	(2) थ्रेड प्लग गेज तथा रिंग गेज	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो ।	
	(3) गेज ब्लाक्स (कार्बाइड स्लिप गेज से भिन्न स्लिप गेज) ।	वही	
24(बी)	ग्राइंडिंग व्हील्स तथा सिगमेंटस ।	वही	
24(सी)	फाउन्टेन पैन के निर्माण के लिये निब स्लिटिंग व्हीलस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।	
25(डी)	(1) कार्बोरैन्डम और सिन्थेटिक एल्युमिनियम अक्साईड (भूरे रंगों को छोड़कर) 300 मेश और फाइनर साइज के एब्रेसिवग्रेन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो ।	
	(2) ब्राउन सिन्थेटिक एल्म्मुनियम ओक्साइड एब्रसिव ग्रेन्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इसमें जो भी कम हो।	

1	2	3
28(4)	परिणिष्ट 23 में निहित को छोड़कर वी-बल्टस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो भी कम हो ।
28(8)(बी)	सेफ्टी रेजर ब्लेड के निर्माण के लिए इस्पात कन्वेअर बैल्टस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
32(बी)	देश में नहीं उत्पन्न किए गए (केवल पम्पों के निर्माण के लिए) रेटिंग के वर्टिकल स्पिन्डल हालो साफ्ट मोटरें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
32(डी)	विभिन्न गतिवाली मोटरें तथा अन्य नान-फ्लेम प्रूफ मोटरें जिनकी जरूरत वस्त्र-मशीनों (केवल उत्पादन उद्योग के लिए वस्त्र मिल/वस्त्र-मशीन) के विशिष्टकृत टाइपों के लिए है ।	वही ।
32(एच)	(ए) 1 अश्व शक्ति तक डी० ओ० मोटरों के लिये कोमूटेटर्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० चाहे जो भी कम हो ।
	(बी) फालतू पुर्जों के रूप में अपेक्षित आड के कार्बन ब्रशों के विशिष्ट टाइप्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो कम हो ।
32(ए)(1)	फ्यूड कास्टिक सोडा या एसिड के लिए विशेष पम्प ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
39(सी)	बी एस एस–889–1965 अथवा यू० डी० ई० सी० 166/11.58 के अनुसार फ्लेम प्रूफ तथा एक्सप्लोजन प्रूफ फिटिंग्स (रासायनिक खाद तथा रसायन कमप्लेक्सेज के लिये) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

1	2	3
41ए (1)	मशीनी अथवा बिना मशीनी इलक्ट्रोलिटिक संसाधनों के लिए आवश्यक ग्रेफाइट एनोडस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रू० इनमें जो भी कम हो ।
(2)	विद्युत फर्नेसस के लिए ग्रेफाइट इलक्ट्रोडस ।	
	(3) विद्युत फर्नेसस के लिए कार्बन पेस्ट ।	लाइसेंस मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
42(बी)(3)	सरंक्षी रिलेज ।	लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
42(एच)(3)	विद्युत नियंत्रक गीयर्स तथा विद्युत संचार गीयर्स—अन्य ।	वही ।
43(ई)	(1) 25000 एल वी एस ई एम एस से ऊपर के डिस्क अवरोधक ।	वही । ,
	(2) 66 के० वी० से कम के परिवर्तक बुशिंग और उपकरण अवरोधक (विशेष प्रकार के डिजाइन के) ।	वही ।
	(3) एच० टी० और एल० टी० के प्रयोग के लिये मेटेलाइजड प्रोसिलेन कन्डेन्सर बुशिंग ।	वही ।
45(सी)(1)	इनेमल तांबातार 44 गेज तथा फाइनर गेज ।	वही
45(सी)(2)	इनेमलल्ड तांबा स्ट्रिप्स ।	वही ।
45(डी)	प्रतिरोधक तार ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो कम हो ।

1	2	3
46(बी)	(1) कार्बन ब्लाक के धातु ग्रेफाइड ग्रेड्स जिनमें मार्गेन्स सी एम–2 ग्रेड तक कार्बन ब्लाक्स संतुल्य शामिल हैं तथा कार्बन ब्लाक के धातु इम्प्रेग्नेटेड ग्रेफाइट ग्रेड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(2) ग्रेफाइड स्टोपर हैड तथा कोलियडल ग्रेफाइट ।	लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
46(डी)	अग्निसह्य माइनिंग वेल्स तथा अग्निसह्य माइनिंग टेलीफोन ।	वही ।
48(ए)	विद्युत विस्फोटक तथा उनके पुर्जे ।	वही ।
भाग—3		
1(डी)(1)	वेटिंग आउट, पेनेट्रेटिंग डिस्पर्सिंग, स्कोरिंग तथा एमलसिफाइंग एजेंट्स (भेषज, भेषजीय कीटनाशक तथा रोगाणुनाशक, रेयन सिन्थेटिक फाइबर्स, सिन्थेटिक रबड़ तथा पालिमर्स के निर्माण के लिए अपेक्षित केवल विशेष उत्पादों के आयात की स्वीकृति दी जाती है) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
1(डी)(4)	सिन्थेटिक ब्लीचिंग एजेंट्स (ब्लीचिंग पाउडर या हियोक्लोराइट्स हाइड्रोजन पेराक्साइड आदि से भिन्न) ।	वही ।
1(डी)(6)	सोडियम एलिजिनेट—	
	(1) लेटैक्स उद्योग के लिये	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(2) वेल्डिंग इलैक्ट्रोड्स के निर्माण के लिये ।	वही ।

1	2	3
5(ए)	सिल्क बोल्टिंग क्लाथ (रोलर फ्लोर मिल्स, स्टार्च यूनिट्स रिफाइन्ड गौर गम यूनिट्स तथा एमरी ग्रेन पाउडर बनाने वालों के लिए) ।	एस एस आई यूनिट के मामलों में आयात की स्वीकृति डी० सी० (एस एस आई की सिफारिश पर तथा अन्य यूनिटों के मामलों में डी० जी० टी० डी० की सिफारिश पर दी जाएगी ।
भाग—4		
37	कोको बोन्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
41	हाप्स ।	वही ।
49(ए)(2)	तरल सोना बनाने के लिए डेमर गम ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
78–79(7)	भेषज ग्रेड वाले गिलेटाइनपाउडर	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
97	आर्ट तथा क्रोम पेपर को छोड़ कर अन्तिम उपयोग को छोड़कर अन्तिम उपयोग के लिए आवश्यक विशेष वर्ग चीनी मिट्टी ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० जो भी कम हो ।
103	सभीर प्रकार के मेटल रौड्स तथा स्टील रीड्स (वस्त्र आयुक्त, बम्बई की सिफारिश पर) के निर्माण के लिये प्यूमाइस स्टोन और रबड़ स्टोन ;	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
127—129	(1) एरोमेटिक केमिकल्स जैसे जेरेनियोल, साइट्रोनेलोल और आईड्रोक्सी साइट्रोनेलोल के निर्माण के लिये साइट्रोनाला आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
	(2) सुगंध करने वाले सत्त और इत्र-साजी के कम्बाउन्ड के निर्माण के लिये आरेंज आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3	4
	(3) सुगंधित तथा चर्वण तम्बाकू के निर्माण के लिए नेचुरल एसेंसियल आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10% या 5000 रु इनमें जो कम हो ।	
130	तात्विक मूल संश्लेषण ।	वही ।	
138	बेल्ट ड्रेसिंग को छोड़कर ग्लू, जो अन्यथा रूप से विशिष्टिकृत अन्तिम प्रयोग नहीं हो ।	वही ।	
159(बी)	निम्नलिखित के अतिरिक्त (परिशिष्ट 16) के लिए छन्ना पात्र :—		
	(1) अनुसन्धान प्रयोगशालाओं के लिये ग्रीवीमीट्रिक और क्रोमोटोग्राफिक अनैलसिस ।	वही ।	
	(2) मोटर कारों और अन्य आन्तरिक दहन इंजनों के लिए छन्ना ।	वही ।	
160 (परिशिष्ट 16)	ग्लेसीन कागज (कतिपय विशिष्टि अन्तिम उत्पादों के लिए)	वही ।	
177	नाइलोन रेशे और धागे (औद्योगिक नाइलोन रेशे को छोड़कर) और पोलिस्टर फिलामेंट रेशे (सर्जीकिल सचर्स के निर्माण के लिये 40 माइक्रोन्स से 210 माइक्रोन्स घेरे वाले पोलिस्टर फिलामेंट रेशे को छोड़ कर) ।	प्रायोजित प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर बंटित किए जाने हैं ।	

1	2	3
240	हाई डेन्सिटी एल्यूमिनियम ग्राइंडिंग ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
244	मेडिया ।	
	कवर स्लिप्स के अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग में आने वाली 6.5 एम से अधिक और 0.8 एम मोटाई से कम वाली शीट्स ग्लास ।	वही ।
248(सी)	(1) औद्योगिक चिकित्सा और सामान्य प्रयोजनों के लिए थर्मामीटर्स के निर्माण के लिए नर्म केपिल्लरी ट्यूबिंग ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(2) क्वार्टर्स-ग्लास ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० में जो भी कम हो ।
	(3) हार्ड ग्लास ।	वही ।
	(4) लाक्षणिक थमोमीटर्स के निर्माण के लिए सिरेमिक ट्रान्सफर स्केल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।
	(5) लाक्षणिक थर्मामीटर के निर्माण के लिए मिल्क ग्लास ।	वही ।
286(बी)	टाइपराइटर के लिए टाइप करने वाले अक्षर	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
305	सिनेमा से अन्य सब प्रकार के फोटो यंत्र, उपस्कर तथा साधित्र, अन्यत्र विनिष्टिकृत नहीं, और उनके पुर्जे/	फोटो संत्रों उपस्करों और साधित्रों के आयात की अनुमति डी० जी० टी० डी० के परामर्श से दी जाएगी ।
337	3, 4 तथा 5 साइजेज के अलावा अन्य एम्पटि हार्ड ग्लेटाइन कप्स्यूल्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3
भाग—5		
9	औद्योगिक चमड़े के निर्माण के लिए काड तेल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
13	स्पिरिट मिश्रित तत्व जो मदिरा निर्माण के प्रयोग के लिये किए जाते हैं ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
17(सी)	लिकविड मौराफिन (जिनमें मैडिकल लिकविड पैराफिन शामिल हैं) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें जो कम हो ।
34—37(एच)	ब्लैक फिक्से (एसिड प्रतिरोधक सीमेंट के निर्माण के लिये) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
भाग—5		
41(2)	असाधारण मोटर, मोटर साइकिल के टायर ट्यूबें, ट्यूब और फ्लैप्स, बाइसिकिल के टायर और ट्यूब तथा औद्योगिक टायर ट्यूब और फ्लेप्स जिनमें ठोस टायर शामिल हैं, किन्तु ट्रैक्टर टायर शामिल नहीं हैं, और सड़क के लिये प्रयोग में आने वाले के अलवा टायर और ट्यूब (स्वीकृत किस्म के) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
41(3)	ट्रैक्टर और सड़क के लिये प्रयोग में आने वालों के अलावा टायर, ट्यूब और फ्लैप्स, जिनमें अन्य किस्म के टायर और ट्यूब और फ्लेप्स, जो अन्य जगह पर विशिष्टिकृत हैं शामिल नहीं हैं (स्वीकृत किस्म के) ।	वही ।
41(4)	रबड़ बैटरी धारक (बैटरी निर्माण के लिये) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।

1	2	3
41(5)	60 गेज तक ऊष्म अवरोधी क्वालिटी के रबड़ धागे ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
41(7)	फुल मर्किल कोलैपसिबल क्योरिंग बैग्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
42(ए)(1)	**लकड़ी की किस्म**	**अन्तिम उपयोग**
	(1) समुद्रतटीय लकड़ी, डुग्लास फर (पटसन आयुक्त कलकत्ता के परामर्श के साथ) ।	पटसन मिल पिकिंग छड़े बाबिन्स, बाक्स बैक्स, ले रेसिस लूम ले ब्लाक्स तथा शटल के अलावा पटसन मिल की लकड़ी की अन्य वस्तुयें ।
	(2) बिर्च, बीच, मेपिल और डुग्लास फर (बम्बई पटसन आयुक्त के परामर्श के साथ) ।	कपड़ा उद्योग के लिए बाबन्स । वही ।
42(ए)	(3) राख, मलबरी तथा समुद्र तटीय लकड़ी	खेल-कूद का सामान लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
47	कच्चा ऊन तथा ऊन टाप्स	प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर बंटित किया जाना है ।

1	2	3
65(6)(ए)(3)	आयातित कार्यालय मशीनों के लिए देशी मशीनों में जिनके संघटक आयातित हैं उनके पुर्जे को बदलने के लिये आवश्यक फालतू पुर्जे ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
68(बी)	तेल कम्पनियों के उद्योग के लिए आवश्यक रबड़ होज (डी० जी० टी० डी० के परामर्श के साथ) ।	डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा ।
76(सी)	सभी औद्योगिक मशीनों के लिए सूइयां, किन्तु प्रतिबन्धित सूइयों को छोड़कर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो कम हो ।
78(9)	(1) पीएच मीटर इलैक्ट्रोडस (2) पीएच मीटर्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
	(3) अल्ट्रासोनिक डिवाइसेज जिनमें अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर्स शामिल हैं ।	डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा ।
79	(1) 500 रु० से अधिक क्षमता रखने वाले नैदानिक उपकरण, तथा (2) एक्सरे, थेरोपि, गामा-रे-थेरोपी उपकरण ।	वही ।
93-94(ए)(4)	बाइफोकल ब्लेंक्स के अलावा रफ, ब्लेंक्स (सर्व श्री आपथलमिक ग्लास प्रोजेक्ट, दुर्गापुर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रिहाई आदेश जारी किए जाएंगे ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत ।

1	2	3
101	(1) सेलूलोज एसिटेट फ्लेक्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
	(2) सेलूलोज एसिटेट शीट्स/ फिल्मस ।	
	(1) ऐनक के फ्रेम के निर्माण के लिए ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत ।
	(2) जूतों के फीतों के निर्माण के लिए ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत
	(3) अन्य अन्तिम उपयोगों के निर्माण के लिये	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतितत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
111	फिनोल फार्मलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
113	एक्रिलिक प्लास्टिक शीट्स की पर्लसेंट किस्म (बटन बनाने के लिए) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
113–एफ	प्ला विननिलिडीन क्लोराइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
113(जी)	पोलिबिनाइल फार्मल तथा पोलिविनाइल एसिटोल ।	वही ।
113(एच)	पोलिविनाइल क्लोराइड रेजिन्स पाउडर ।	वही ।
113–जे	पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर (लो डेन्सिटि)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत ।
113–के	(1) पी टी एफ ई ट्यूब ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें से जो भी कम हो ।
	(2) विशेष औद्योगिक संघटक	वही ।

1	2	3
116(2)	सिन्थेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
116(4)	इपाक्सी रेजिन्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रु० इनमें से जो भी कम हो ।
122(1)	(1) पालिस्टर लेमिनोटिड फिल्म्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 15 प्रतिशत ।
	(2) पालिस्टर मेटेलाइज्ड फिल्म्स	वही ।
	(3) प्रस्तुत उप सं० 122(1)/5 के अन्तर्गत आने वाली अन्य मदें जो रेड बुक के (वा० 1) के खंड 2 में प्रस्तुत क्रम सं० के सामने टिप्पणी (1), (4) तथा (5) के अन्तर्गत आने वाली मदों से भिन्न हैं ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
122(2)	फ्लोरोस्पर :	
	(1) बिट्रिक्स एनामल फ्रिट के निर्माण के लिये एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पर (डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श पर) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
	(2) स्टील कास्टिंग फाईन्ड्री के लिये एसिड ग्रेड फ्लोरास्पर (डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श पर) ।	वही ।
	(3) एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पर (एल्यूमीनियम स्पेल्टर के लिये) खनन और धातु विभाग के साथ परामर्श करने पर ।	धातु विभाग के साथ परामर्श करने पर आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा ।
122(3)	गहरे रंग वाले तेल जैसे बिनौले का तेल, राइस ब्रान तेल, सूरज मुखी तेल, अलसी तेल, केस्टर तेल के ब्लीचिंग के लिए एक्टिवेटिड ब्लीचिंग अर्थ ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।

1	2	3
122(9)	फ्लाईलाइट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
122(11)	चकमक पत्थर (लाइटर उद्योग के लिए और तकनीकी खिलौनों के निर्माण के लिए) ।	वही ।
122(15)	(1) सिन्थेटिक गैर सेलूलोज फाइबर, जिनमें पोलिस्टर फाइबर शामिल है । (2) पोलिसोनिक फाइबर (सेलूलोज स्पेशल फाइबर) ।	प्रायोजिक प्राधिकारी की सिफारिश पर बंटित किया जाना है ।
122(25)	(1) कंघियों के निर्माण के लिए पालिप्रोप्लीन में	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत बाद में घोषित किया जाना है ।
	(2) थर्मोप्लास्टिक रबड़ ।	
	(3) प्रस्तुत क्रम सं० के अन्तर्गत आने वाली अन्य मदें (प्रस्तुत क्रम सं० के सामने की टिप्पणी (1) तथा (2) के अन्तर्गत आने वाली मदों को छोड़ कर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत ।
122(29)	लेड स्टोरेज बैटरी के अलावा अन्तिम उत्पाद के लिए फिल्टर एड्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो कम हो ।
122(32)	ग्लास मिनरल्स स्लैग वूल, फाइबर ग्लास और उनके उत्पादें ।	वही ।
122(41)	एलाबास्टर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
122(49)	स्टेंपिंग फाइल्स में परिवर्तन के लिये पालिस्टर फिल्म्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
122(50)	खमीर खाद्य और खमीर उपज ।	वही ।
122(51)	(1) इमल्सीफिएबल पोलिथीन वेक्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 75 प्रतिशत ।

1	2	3
	(2) प्रस्तुत क्रम सं० के अन्तर्गत टिप्पणी (1) और (4) के सामने उल्लिखित मदों को छोड़कर प्रस्तुत उप-क्रम सं० के अन्तर्गत आने वाली अन्य मदें ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
87–109/4 (परिशिष्ट–19)	(1) सल्फाडिमिडाइन (सल्फामेथेजाइन) ।	भारतीय भेषज तथा औषधीय लि० के लिए राज्य भेषज नियंत्रणप्राधिकारियों द्वारा बंटन आदेश जारी किए जाएंगे ।
	(2) एमिडोपाइराइन ।	
	(3) एनलजिन।	
	(4) फि नोबारबिटोन	
	(5) पिप्राजाइन और इसके साल्ट ।	
	(6) स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट	
	(7) टेट्रासिक्लाइन बेस और टेट्रासिक्लाइन हाइड्रोकलोराइड ।	
	(8) सल्फागोनाइड ।	
	(9) क्लोरमफिनिकोल पाउडर	राज्य व्यापार निगम को भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा बंटन आदेश जारी किए जाएंगे ।
	(10) क्लोरमफिनिकोल पामिटेट	
	(11) क्लोरमफिनिकोल ससिनेट	
	(12) फार्म-कोपिअ ग्रेड के साइट्रिक एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
	(13) अवशोष्य जिलेटिन स्पांज	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 21/2 प्रतिशत ।
	(14) एसिटारसोल	वही
	(15) एल्यूमीनियम ग्लिसिनेट	वही
	(16) कैल्सियम डि-सकारेट	वही
	(17) केल्सियम केवल इन्जे-	वही

1	2	3	4
	क्टेबल ग्रेड वाले कैल्सियम ग्लूकोनेट		
	(18) केलामाइन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
	(19) ग्लाइसरोफोस	वही 2 1/2 प्रतिशत ।	
	(20)हेमाराइन	वही 2 1/2 प्रतिशत ।	
	(21) फर्माकोफियल ग्रेड का लिक्विड पाराफिन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।	
	(22) लेनोलिन (एडेप्स लेनी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5,000/- रुपये इनमें जो भी कम हो ।	
	(23) मेप्राबामेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इनमें जो भी कम हो ।	
	(24) निकेथेमाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
	(25) फिनाइल बुटाजोन और उसके साल्ट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 1,250/ रुपये इन में जो भी कम हो ।	
	(26) पोटेशियम हाइड्रोजन टारट्रेट (टारटार की क्रीम) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।	
	(27) पोटेशियम सोडियम टारट्रेट (रोछेलि साल्ट)	वही	
	(28) पोटेशियम आयोडाइड	वही	
	(29) प्रेडनिसोन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये इनमें जो भी कम हो ।	
	(30) प्रेडिसोनोल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500/- रुपये इनमें जो भी कम हो ।	

1	2	3
	(31) प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।
	(32) सिल्वर प्रोटीन, नर्म और सख्त ।..	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(33) सोडियम आयाडाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 1,250/– रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(34) आई० पी० ग्रेड के सोडियम बाईकार्बोनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(35) सोर्बिटोल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(36) सक्सिनाइल क्लोलाइन क्लोराइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।
	(37) थाइमल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 500 रुपये, इन में जो भी कम हो ।
	(38) डी 2 और डी 3 विटामिन्ज	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत ।
	(39) विटामिन के (मेनडायन, मेनडायन सोडियम बिएल्फाइट और एसिटोमेनाफथाने)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2 1/2 प्रतिशत या 5,000 रुपये, इन में जो भी कम हो ।

1	2	3

1-बी-3 रंजक अन्तः स्थ के रूप में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित रंजक :—

(परिशिष्ट–24)

रंजक पदार्थों का नाम	सी०आई०सं०	
(1) ब्लू बी बेस डायनाइसाइड	37235	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
(2) नील विशुद्ध	73000	वही
(3) नेप्थोल एस०आई०आर० जी०	37513	वही
(4) नेप्थोल ए०एस०एल० सी०	37555	वही
(5) रोडामाइन 6 जी०डी० एम०	45160	वही
(6) थाइफ् लेविन	49005	वही
(7) विक्टोरिया ब्लू बीओ	42595	वही
(8) वाट येलो बीवाई	60530	वही
(9) वाट आरेंज आरई	73335	वही
(10) वाट पिंक आर	73360	वही
(11) वाट वायलेट आरआर	73600	वही
(12) वाट ब्लू 4 जी	73045	वही
(13) वाट ग्रे बी एल (वाट ब्लैक)	73670	वही
(14) वाट गोल्डन येलो आर के	59105	वही

निम्नलिखित रंजक अन्तः स्थः

(1) बीटा नेप्थोल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 15 प्रतिशत ।
(2) नेप्थियोनिक एसिड/सोडियम नप्थियोनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

1	2	3
	(3) एसिटोग्रसेट-ओ-एनिसिडाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये इनमें जो भी कम हो।
	(4) एसिटोग्रसेट-एम-जिलिडाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिश या 1250 रुपये इन में जो भी कम हो।
	(5) एसिड एन्थानिलिक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 1250 रुपये इन में जो भी कम हो।
	(6) 1–एमिनोएन्थ्राकुइनान	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत।
	(7) एमिनो आइसो गामा एसिड/साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत
	(8) 1. एमिनो 2. नेफ्थोल 4. सल्फोनिक एसिड/साल्ट	वही 5 ,,
	(9) 1–एमिनो 6–नाइट्रो 2–नेफ्थोल 4–सल्फानिक एसिड/साल्ट	वही 5 ,,
	(10) 2–एन्थ्राकुइनोन एसिड–सोडियम साल्ट	वही 5 ,,
	(11) एन्थ्राकुनोन	वही 5 ,,
	(12) ओ–एनिसिडीन	वही 10 ,,
	(13) पी–एनिसिडीन	वही 10 ,,
	(14) बेन्जोइल–जे–एसिड/साल्ट	वही 5 ,,
	(15) बिटा–आक्सिमेप थाइक एसिड (बी०ओ०एन० एसिड)	वही 10 ,,
	(16) ब्रोमेमीन एसिड	वही 5 ,,
	(17) शिकागो एसिड/साल्ट	वही 10 ,,

1	2	3	
(18) 1–क्लोरोएन्थ्राकुईनोन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत		
(19) 4–क्लोरा–2–नाइट्रो-एनिलिन	वही	5	,,
(20) 5–क्लोरा–ओ–टाल्यूडिन	वही	5	,,
(21) 1–4 डाइआमिनो–एन्थ्राकुइनोन	वही	5	,,
(22) 1-5 डाइआमिनो–एन्थ्राकुइनोन	वही	5	,,
(23) 2–6 डाइआमिनो–एन्थ्राकुइनोन	वही वही	5 5	,, ,,
(24) 1.5 डिबेन्जिल नेफथलीन	वही	5	,,
(25) डिएथिलोमिटा एमिनोफिनल	वही	10	,,
(26) डि–जे–एसिड/साल्ट (रोडुलिन एसिड/साल्ट)	वही	5	,,
(27) 2.5 डिमिथिल–4–क्लोरोफिनल थ्रोग्लाइकोलिक	वही	5	,,
(28) डिफेनिलेमाइन	वही	20	,,
(29) 2 :5 डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन	वही	5	,,
(30) 1 5 डाइहाइड्रोक्सी एन्थ्राकुइनोन	वही	5	,,
(31) डाइमेथिलेनिलीन	वही	20	,,
(32) 1.8 डाइहाइड्रोक्सी एन्थ्राकुइनोन	वही	5	,,
(33) जी साल्ट	वही	10	,,

1	2	3
(34) गामा एसिड/साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत	
(35) एच-एसिड/साल्ट	वही	10 ,,
(36) जे-एसिड/साल्ट	वही	15 ,,
(37) जे-एसिड यूरिया/साल्ट	वही	10 ,,
(38) त्योरेन्ट की एसिड/साल्ट	वही	5 ,,
(39) एन० डब्लू एसिड/साल्ट	वही	10 ,,
(40) 2–नेफथिल थियोग्ला-कोलिक एसिड	वही	5 ,,
(41) ओ-नाइट्रोएनिसोल	वही	5 ,,
(42) पी-नाइट्रोएनिसोल	वही	5 ,,
(43) पी-क्लोरोएनिलिन	वही	5 ,,
(44) ओ-क्लोरो 1(4–सल्फो-फिनाइल)–3–मेथिल-5-पायराजोनोल	वही वही	5 ,, 5 ,,
(45) पेरी एसिड/साल्ट	वही	5 ,,
(46) फीनिल जे० एसिड/साल्ट	वही	10 ,,
(47) फीनिल हाइड्राजीन	वही	5 ,,
(48) फीनिल पेरी एसिड/साल्ट	वही	10 ,,
(49) क्वंजेरिन (1.4 (डिहाईड्राक्सी एन्थ्राकुइनोन)	वही	5 ,,
(50) रेज़ासिनोल	वही या 2,500 रुपये जो भी कम हो।	5 ,,
(51) आर० साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत	
(52) स्केइफर की एसिड/साल्ट	वही	10 ,,

1	2	3
	(53) सोडियम–साल्ट–आकसल एसेटिक एस्टर/आक्सल एसेटिक एसटर/आक्सल-एसेटिक एस्टर-सोडियम साल्ट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत
	(54) टोबियास एसिड/साल्ट	वही 10 ,,
22–31/5 (परिशिष्ट–28)		
	(1) साइनो पाम्परीडीन	रिहाई आदेश राज्य भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राज्य व्यापार निगम को जारी किए जाएंगे ।
	(2) फारमिक एसिड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	(3) मेटा एमिनोफि नोल	रिहाई आदेश राज्य भेषज नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राज्य व्यापार निगम को जारी किए जाएंगे ।
	(4) पेंट्राएरी-थिटोल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(5) केलसियम कार्बायड	प्रायोजित प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य व्यापार निगम द्वारा रिहा किया जाना है ।
	(6) मेथिल एथिल किटोन पेरोक्साइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(7) एल्युमीनियम फ्लोराइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3
(8) (1) एमिल अल्कोहल		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
(2) आइसो-एमिल अल्कोहल (मिल्क टेस्टिंग क्वालिटी से भिन्न)		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये– इन में जो भी कम हो ।
(9) मेथानोल टेक्नीकल		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इन में जो भी कम हो
(10) आक्टानोल/आइसो-आक्टानोल, एलफोल, एलफोनोल जैसे सर्फेक्टेन्ट-साइजर्स के लिए सी6–सी12 अल्कोहल ।		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
(11) विनाइल क्लोराइड		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
(12) पोटेशियम क्लोराइड (औद्योगिक कोटि)		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये में जोभी कम हो ।
(13) सिट्रिक एसिड (टेक्निकल ग्रेड)		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
(14) पाअरिडीन बेस तथा पाअरिडीन टेक्निकल ।	वही	5 ,,
(15) असेटिक एन्हाड्राइड	वही	5 ,,
(16) असेटिल एसिटोन	वही	10 ,,

1	2	3
	(17) एसिड एनथानिलिक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का या 1,250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(18) एक्टिवेटिड कार्बन	वही 5 ,,
	(19) एलफा पिनेन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(20) अमोनियम कार्बोनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	(21) विस्फोटक कोटि का अमोनियम नाइट्रेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये–इन में जो भी कम हो ।
	(22) अमोनियम, परसल्फेट तथा पोटैशियम परसल्फेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(23) अमोनियम थिओसियानेट (रोडेनाइड तथा रोडेनेटम के अमोनियम सल्फोसायनाइड थिओसियानेट के रूप में भी जाना जाता है) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(24) एनटीमोनी आक्साइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(25) आरगन ग्रैस स्पैट्रो सकोपिकली 99.99 प्रतिशत शुद्ध ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी इन में कम हो ।
	(26) आरसेनिक ट्राइआक्साइड तथा अरासेनिक पेन्टोसाइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।

1	2	3
(27) बेंजाफिनोन		लाइसस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।
(28) बेंजोट्रिक्लोराइड		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
(29) बेंजाइल ब्युटिल फ्थेलेट	वही	10 ,,
(30) बेंजाइल सायनाइड	वही	10 ,,
(31) बेन्जिल पैरक्साइड	वही	2.1/2 ,,
(32) ब्रोमाइन	वही	20 ,,
(33) सामान्य ब्युटिल अल्कोहल को छोड़कर ब्युटिल अल्कोहल (बेयूटनाल)	वही	2.1/2 ,,
(34) ब्युटिल टिटानेट	वही	2.1/2 ,,
(35) केलशियम कार्बोनेट (निस्सादित तथा सक्रियित)	वही	10 ,,
(36) केस दृढिकारक मिश्रण		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये—इन में जो भी कम हो ।
(37) क्लोरिनेटिड पैराफिन		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत ।
(38) डिक्लोरो बेन्जीन		लाइसस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये—जो भी इनमें कम हो ।
(39) डिआक्सिल फ्थेलेट (डीएपी)		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी कम हो ।

1	2	3
	(40) डाइडेसिल फ्थेलेट (डीआई डी पी)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये जो भी इन में कम हो ।
	(41) डाइनोनिल फ्थेलेट (डी एन पी)	वही
	(42) क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन कम्पाउन्ड जो रिफ्रिजरेंट गैस के रूप में प्रयुक्त होता है जिसमें ट्रिक्लोरोमोनोफ्लोकोमेथेन (फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट 11), डाइक्लोरोडियलोरोमेथेन (फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट–12), डाइक्लोरोमोनोफ्लोरो-मेथेन) (फ्लोरोकार्बन रेफ्रि-जरेंट–21), मोनोक्लोरो-डिफ्लोरोमेथेन (फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट-22) तथा उनके मिश्रण शामिल नहीं हैं ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(43) डिफिनायल आक्साइड/ डिफिनायल ईथर ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(44) ई०डी०टी०ए० और इसके सोडियम साल्ट	वही 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(45) पैराहाईड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड (मिथिल एथिल तथा प्रोपिल) के एस्टर्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(46) डिएथिलीन तथा पोलि-एथिलीन ग्लाइकोल	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(47) एथिलीन डिक्लोराइड	वही 10 ,,

1	2	3
(48) एथिलीन यूरिया		लाइसेंस के अंकित मूल्य का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।
(49) फ्यूमेरिक एसिड	वही	5 ,,
(50) फरफ्यूरल	वही	10 ,,
(51) गोल्ड साइनाइड, पोटासियम सोडियम गोल्ड साइनाइड, कापर साइनाइड, जिन्क साइनाइड तथा सिल्वर साइनाइड ।		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।
(52) ग्लाइसिरीन		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 15 प्रतिशत ।
(53) हेक्साक्लोराएथेन	वही	5 ,,
(54) हाइड्रोजन पर-आक्साइड	वही	5 ,,
(55) आइसोप्रोपिल एसिटेट		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, इन में जो भी कम हो ।
(56) हाइड्राक्सायलेमान हाइड्रोक्लोराइड (हाइड्राक्सायमोनियम क्लोराइड)		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
(57) हाइड्रक्सायलेमीन सल्फेट (हाइड्राक्सायमोनियम सल्फेट)	वही	10 ,,
(58) आइसो प्रोपिल नाइट्रेट	वही	2.1/2 ,,
(59) निम्नलिखित प्रयोगशाला तथा अभिकर्मक रसायन :—		
(1) मेथिल आइओडाइड शुद्धि कोटि । (2) पोटासियम एमिल एक्सेन्थेट (3) पोटासियम एथिल एक्सेन्थेट ।		लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इन में जो भी कम हो ।

1	2	3
	(4) पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट अनेलर क्वालिटी (5) सोडियम बाइसल्फाइट शुद्ध और अनेलर क्वालिटी का । (6) सोडियम एथिल एक्सेन्थेट । (7) सोडियम आइसो प्रोपिल एक्सेन्थेट (8) सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, शुद्ध तथा एनेलर क्वालिटी ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इन में जो भी कम हो ।
(60)	हल्का मेगनीशियम कार्बोने और मेगनीशियम इन्सुलेटिंग सामग्री ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो । (परन्तु, कम से कम 97 प्रतिशत मेगनेशियम आक्साइड के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक दी जाएगी ।
(61)	मैटेलिक एसिटेट (सोडियम और पोटाशियम एसिटेट को छोड़कर जो आयात के लिए प्रतिबन्धित है) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
(62)	मेटा सब्स्टीट्यूटिड अल्काइल फिनल (कारडेनल) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, इन में जो भी कम हो ।
(63)	मेटोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, इन में जो भी कम हो ।

1	2	3
	(64) मोनो क्लोरा एसेटिक एसिड और इसके सोडियम साल्ट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, इन में जो भी कम हो ।
	(65) मोनो क्लोरा बेन्जीन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(66) मस्क केटान ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 1250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(67) नेफ्थलीन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(68) निकल फारमेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(69) नाइट्रोबेन्सीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(70) आर्गेनिक एसिटेट्स अन्यत्र वर्गीकृत नहीं	वही 2.1/2
	(71) आर्थो डिक्लोरा बेंजीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये–इनमें जो भी कम हो ।
	(72) आर्थो आक्सीडिफि, नायल तथा पारा आक्सीडिफि-नायल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

1	2	3	4
	(73) ओर्थो टोल्युईन सल्फो-नेमाइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।	
	(74) पेलेडिअम क्लोराइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये, जो भी कम हो ।	
	(75) पारा एमिनोफिनोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
	(76) पैरा हाइड्रोक्सी बैन्जोइक एसिड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।	
	(77) फिनेटिडाइन और पैरा फिनेटिडाइन ।	वही 5	
	(78) फेनोक्सी स्सेटिक एसिड और इसके नमक ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।	
	(79) फिनायल एसेटिक एसिड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, इन में जो भी कम हो ।	
	(80) फिनायल एसेटिमाइड ।	वही	
	(81) फास्फोरिक एसिड ।	वही	
	(82) फास्फोरस पेन्टोक्साइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये इन में जो भी कम हो ।	
	(83) परिशिष्ट 28 की सूची –2 के अन्तर्गत आने वालों से भिन्न किन्तु उनको छोड़कर जिनका आयात करना निषेध है, फूथेलेट प्लास्टिसाइजर्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत :	

1	2	3
(84)	पिकोलिन, बीटा तथा गामा ।	लाइसंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
(85)	पोटाशियम बाइकारबो-नेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये, जो भी कम हो ।
(86)	पोटाशियम कारबोनेट	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये, जो भी कम हो ।
(87)	पोटाशियम सिलिकेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
(88)	रिसारसिनाल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये–इन में जो भी कम हो ।
(89)	रबर रसायन जैसे एक्सि-लरेटर्स, एन्टिआक्सिडैन्टस, रिटारडर्स पेपटाइजर्स, उद्धारक ऐजेन्टस और फूंक एजेन्टस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
(90)	सोडियम अजाइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये जो भी कम हो ।
(91)	आई०पी०ग्रेड के सोडि-यम बाइकार्बोनेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये, इन में जो भी कम हो ।
(92)	सोडियम क्लोरेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।

1	2	3
	(93) सोडियम मानोक्लोरो एसिटेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1,250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(94) सार्बिटोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(95) स्ट्रोन्टिअम कारबोनेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	(96) स्टाइरीन ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत ।
	(97) सक्सिनिक एसिड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।
	(98) सक्सिनेटस ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रुपये जो भी कम हो ।
	(99) सबमर्जड एरो बैल्डिंग फलक्सिज ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	(100) टरपैंटिआल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो कम हो ।
	(101) टर्ट ब्युटिल केटेकोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
	(102) टेट्रासोडियम पाइरो-फास्फेट और सोडियम के अन्य पालिफास्पेट्स ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(103) थेनाइट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।

1	2	3
	(104) थियोनिल क्लोराइड ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(105) ट्राईक्रेसिल फास्फेट ।	वही
	(106) ट्राईथेनोलेमाइन टीटानेट तथा आइसोप्रोपिल टिटानेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।]
	(107) ट्राई-सोडियम फास्फेट ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2.1/2 प्रतिशत या 1250 रुपये इन में जो भी कम हो ।
	(108) एनसाक्लेनोल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
34–37 (डी)		
(परिशिष्ट–29)		
	पेंट के लिए कच्चे माल :—	
	(ए) एन्टिमोनी आक्साइड (पेन्टर्स ग्रेड) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।]
	(बी) ह्वाइट स्पिरिट/मिनरल टरपेंटाइन ।	[बाद में घोषणा की जाएगी ।
	(सी) अन्तिम प्रयोग के लिए एक्सीलीन (एथेलिक एनहाइड्राइड से भिन्न)	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	(डी) सिन्थेटिक येलो आयरन आक्साइड (पिगमेंट यैलो 42) ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।

1	2	3

परिशिष्ट–24

परिशिष्ट–29

निम्नलिखित पिगमेंट डाइस्टफ्स
तथा कास्मेटिक कलर्स :—

पिगमेंट डाइस्टफ्स	कलर सूचक संख्या	
1. एस०एफ० रेड पी 2 आर	12316	इन मदों के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत की सीमा तक या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो, तक दी जाएगी ।
2. परसियन आरेंज	15510	
3. लेक स्कार्लेट ।	16105	
4. पीकाक ब्ल्यू ।	42090	
5. येलो ग्रीन टोनर ।	49010	
6. लेक मेगेन्टा ।	सी०आई० सं० नहीं	
7. क्रिम्सन टोनर ।	12825	
8. परमानेंट आरेंज 2 आर ।	12075	
9. एस०एफ० रेड एफ 4 आर एच।	12420	इन मदों के आयात की अनुमति लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत की सीमा तक या 5000 रुपये इनमें जो भी कम हो तक दी जाएगी ।
10. रबड़ ब्ल्यू जी एन एस ।	सी० आई० संख्या नहीं ।	
कास्मेटिक कलर्स		
1. डीप रेड	12350	
2. कास्मेटिक ग्रीन आक्साइड ।	77288	

1	2	3
परिशिष्ट 45 भाग ए	पेन्डुलम क्लाक के निर्माण के लिए क्लाक आयल ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2500 रु० इनमें से जो कम हो ।
परिशिष्ट 46	स्टोरेज बैट्रिज के निर्माण के लिए निम्नलिखित कच्चे माल/संघटक :—	
	1. कच्चा सीसा 2. ऐंटिमोनि 3. ऐंटिमोनि अस्यक 4. आर्सेनिकल ऐंटिमोनियल लेड अलाय 5. विशेष ग्रेड वाले पी०वी० सी० रेजिन्स (केवल पी वीसी विलगक के निर्माण के लिए) 6. ग्लास वूल मैटस (रबड़ विलगक के निर्माण के लिए) 7. बैटरी विलगक (पी. वी.सी. रबड़ तथा लकड़ी वाले को छोड़कर) 8. माइक्रो सल्फर 9. शुद्ध टीन 10. ढला हुआ ताम्बा/ताम्बा छड़ 11. लाल सीसा (केवल वायुयान की बैट्रियों के निर्माण के लिए)	प्रत्येक मद के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम होगा उसके लिए स्वीकृति दी जाएगी ।
परिशिष्ट 47 :	सूखी बैटरी सेल्स के निर्माण के लिए निम्नलिखित कच्चे माल/संघटक :— 1. विशेष पीवीसी स्ट्रिप्स और स्लीब्स 2. ढले हुए रूप में जस्ता, केलाट्स और शीट्स 3. पारा	प्रत्येक मद के लिए लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम होगा, उसके लिए स्वीकृति दी जाएगी ।

1	2	3
	4. कैडमियम मेटल 5. विशेष कार्य के लिए बटरी कान्टेक्ट और टर्मिनल पुज । 6. ढला हुआ मीसी ।	
परिशिष्ट 48–ए	पेय जल क्षोतक निर्माण के लिए:—	
	टीन	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	(बी) 0° सी से कम वाले क्षोतक के निर्माण के लिए	
	1/3 अश्वशक्ति से 3/4 अश्व-शक्ति के ऊपर वाले सम्पीडक :–	वही 30 प्रतिशत
	(सी) कमरे के वातानुकूल के निर्माण के लिए	
	(1) 8 एम्प्स से अधिक वाले थर्मोस्टेट्स	वही 2/½ प्रतिशत
	(1) 1½ टन वातानुकूल के निर्माण के लिए)	
	(2) पिनाग्रो स्विच	वही 5 प्रतिशत
	(3) इलेक्ट्रोलिटिक स्टार्ट कैपिसेटर्स	वही 10 प्रतिशत
	(डी) 1/8 अश्वशक्ति से 7/1 2 अश्वशक्ति वाले सील्ड सम्पीडकों के निर्माण के लिए :—	
	(1) रिले के निर्माण के लिए 47 जीए वाली ताम्बे की तार, (2) फास्फर ब्रोन्ज शीटस/स्ट्रिप्स (3) बेरिलियम ताम्बा तार/स्ट्रिप्स (4) बाई-मैटल स्ट्रिप्स	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3
	(ई) 1/2 अश्वशक्ति वाले तथा इससे अधिक वाले	
	खुले किस्म के सम्पीडक के निर्माण के लिए :—	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत ।
	बेयरिंग के लिए विशेष प्रकार के बेयरिंग धातु ।	
परिशिष्ट 49	गृह सेवा मदों के निर्माण के लिए :	
	कच्चे माल	
	(1) जस्ता (2) टीन (3) सीसा	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।
परिशिष्ट 51	(1) ग्राइंडिंग ह्विल्स, होनिंग स्टोन/स्टिक, मैकेनाइट प्लेट्स (गेप तथा रिंग प्लेट्स) ।	रोलर बेयरिंग और बाल के निर्माण के लिए । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 2½ प्रतिशत या 1250 रु० इनमें जो भी कम हो ।
	(2) मघटक जैसे प्रिसीजन स्टील बाल्स, तैयार रोलर्स, टेनर्स फेल्ट तथा रबड़ सील्स, फोर्जड तथा रोल्ड रिंग्ज ।	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत ।
परिशिष्ट 57	रबड़ रसायन जैसे एक्सिलेटर्स एन्टाक्सीडेन्ट, स्टिारडर्स, पेप्टाइजर्स तथा रिक्लेमिंग एजेंट्स (हेक्सामाइन किस्म से भिन्न) ।	रबड़ के सामान के निर्माण के लिए । लाइसेंस के अंकित मूल्य का 10 प्रतिशत या 5000 रु० इनमें जो भी कम हो ।

1	2	3
परिशिष्ट 61	(1) इलेक्ट्रोलिटिक ताम्बा, (2) कोल्ड रोल्ड डाइन्मो ग्रेड सिलिकान स्टील शीट्स (सी आर एन जी ओ)	इलैक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण के लिए — लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत वही
परिशिष्ट 62	(1) इलैक्ट्रोलिटक ग्रेड ताम्बा (2) स्टेम्पिंग की कैप्टिव क्षमता रखने वाले एककों के लिए सी०आर०जी०ओ० इलैक्ट्रिकल स्टील ।	ट्रान्सफारमर्स के निर्माण के लिए — लाइसेंस के अंकित मूल्य का 40 प्रतिशत वही

टिप्पणी.—अपने निर्यात व्यापार के आधार पर संभरण के अधिमानित स्रोतों के लिए पात्र इकाइयों के मामले में 5000 रु० की अधिकतम मूल्य सीमा या इससे कम सीमा जैसा कि प्रत्येक मद के सामने निर्दिष्ट है, दूनी होगी ।

ऐसी मदों के विषय में जिनके लिए अधिकतम मूल्य सीमा 5000 रु० से अधिक है, परन्तु 10000 रु० से अधिक नहीं है ,तो ऐसी निर्यातिक इकाइयों के लिए इस सीमा को 10,000 रु० तक बढ़ा दिया जाएगा ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972